विवरण 4-क

चल स्टाक (रेल इंजन) का कार्य-निष्पादन

अनुदेश

सामान्य --बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन क लिए तथा प्रत्यक वष, 1 अप्रैल से शुरू करके संचयी आंकड़ों के और महीने के आंकड़ों के लिए अलग-अलग विवरण अपेक्षित हैं। छोटी लाइन की मद 8.01, 9,10,11,12 और 13.02 के संकलन से सम्बन्धित अनुदेश डीजल बिजली और बिजली इंजनों से सम्बन्धित मद 13.02 (घ) के अनुदेशों के बाद दिये गये हैं।

2. इस विवरण में विवरण 8 में शामिल ई०एम०यू० स्टाक शामिल नहीं किए जायेंगे। भाप, डीजल, बिजली, डीजल हाइड्रालिक एवं यांत्रिक, ए०सी० बिजली तथा डी०सी० बिजली रेल इंजनों के आंकड़े सम्बन्धित कालमों में अलग अलग दिखाए जायेंगे और ये आंकड़े कालम "त" और थ" के समग्र आंकड़ों के अलावा होंगे।

3. इस विवरण की कतिपय मदों के संकलन क सम्बन्ध में, कृपया सामान्य अनुदेश का पैरा 13 देखें।

4. मद 1 और 2 के लिए औसत नीचे दिये गये उदाहरण के अनुसार निकाला जायेगा :—

"क" रेलवे के पास पहली अप्रैल को इंजनों क रूप में 1000 यूनिट थे तथा 11 अप्रैल को उसके प्राधिकृत स्टाक में 14 यूनिटोंकी और 16 अप्रैल को 8 यूनिटों को वृद्धि की गई। तदनुसार महीने का औसत प्राधिकृत स्टाक—

$1000 + \frac{20\times14+15\times8}{30} = 1013$ होगा (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करने के बाद)

यदि परिणाम 100 से कम हो तो उसे सामान्य अनुदेश के पैरा 5 के अनुसार, यथा प्रकरण, दशमलव के एक या दो स्थानों तक सहीं पूर्णांकित किया जाएगा।

5. मद 2 से 8 तक के परिणामों को दशमलव के एक स्थान तक और मद 9,10,11,12, और 13.02 के परिणामों को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाएगा।

6. (क) भाप तथा डीजल हाइड्रालिक एवं यांत्रिक इंजनों (ब० ला० और मी० ला०) का कार्य-निष्पादन दैनिक आधार पर होगा। दिन 0 से 24 बजे तक कलेंडर दिवस के रूप में गिना जायेगा। यदि कोई रेल इंजन अर्ध-रात्रि से अर्ध-रात्रि के बीच किसी सेवा में दिनांश के लिए इस्तेमाल होता है तो उसे कार्य-रत माना जाएगा। औसत निकालने के लिए इंजन दिनों की संख्या को महीने के दिनों की संख्या से विभाजित किया जायेगा।

(ख) डीजल बिजली और बिजली रेल इंजनों (ब० ला० और मी० ला०) का इंजन उपयोग घंटे के आधार पर दिखाया जायेगा। कार्यरत इंजनों में, गाड़ी सेवा में लगे (इसको गणना प्रस्थान से लेकर गन्तव्य पर पहुंचने तक होगी) इंजनों के अलावा, यातायात यार्डों में पड़े इंजन और खाली, सहायक अपेक्षित और सहायक अनपेक्षित तथा गाड़ी चलाने से पहले और बाद में, मार्ग में शंटिंग करने वाले इंजन भी शामिल होंगे। खाली और सहायक सेवाएं, अर्थात लाइट, सहायक अपेक्षित आदि उस सेवा में जिसके लिए इंजन चलाया जाता है, शामिल होंगे।

7. बिजली कर्षण के परिणाम ए०सी० और डी०सी०के बारे में अलग-अलग दिखाये जाने चाहिए और कुल बिजली कर्षण भी दिखाया जाना चाहिए।

8. छोटी लाइन के आंकड़े आंबटन कलेंडर के आधार पर निकाले और सूचित किए जायेंगे।

Statement 4-A

Rolling Stock (Locomotive) Performance

Instructions

General.—Separate statements are required for broad, metre and narrow gauges as also for figures for the month and cumulative figures from Ist April, each year. Instructions for compiling items 8.01, 9,10,11,12 and 13.02 for narrow gauge lines are incorporated after instructions for item 13.02 (d) for diesel electric and electric engines.

2. Electric multiple unit stock included in St. 8 are not to be included in this statement. Figures relating to steam, diesel electric, diesel hydraulic and mechanical, AC electric and DC electric locomotives are required to be furnished separately in the respective columns; in addition to overall figures in columns P and Q.

3. See paragraph 13 of the General Instructions regarding the compilation of certain items appearing in this statement.

4. The term average for items 1 and 2 will be worked out as illustrated below:—

Railway A has 1,000 units in the form of engines on the Ist of April and adds to its authorised stock 14 units on the 11th of April, and 8 units on the 16th April. The average authorised stock for the month is—

$1000+\frac{20\times14+15\times8}{30}=1013$ (after rounding off to the nearest whole number.)

If the result is less than 100, it should be rounded off correct to one or two places of decimal, as the case may be in accordance with para 5 of the General Instructions.

5. The results for items 2 to 8 should be rounded off to one place of decimal and for items 9,10,11,12 and 13.02 to the nearest whole number.

6. (*a*) The performance of steam and diesel hydraulic and mechanical engines (BG and MG) will be on day basis. The day will be reckoned as a calendar day from 0 to 24 hours. *If a locomotive is utilised for part of the day on any service from midnight to midnight it will be treated as in use.* The average will be worked out by dividing the number of engine days by the number of days in a month.

6 (*b*) Engine usage for diesel electric and electric engines (BG and MG) will be on hourly basis. Engines in use will also include those idling in traffic yard apart from those employed on train service (reckoned from departure to arrival at destination) and light, assisting required, assisting not required and shunting *en route*, before and after working a train. Idling as well as auxilliary services, e. g., light, assisting required, etc., will be included in the service for which the engine is run.

7. Results under electric traction should be shown separately for AC and DC and also total electric traction.

8. Statistics for narrow gauge are to be worked out and reported on allotment calendar day basis.

विवरण 4-क
Statement 4-A

रेलवे बोर्ड
RAILWAY BOARD

मासिक/संचयी
Monthly/Cumulative

रेलवे
(रिपोर्ट भेजने वाली रेलवे का पूरा नाम) Railway
(Full name of reporting Railway)

चल-स्टाक (रेल इंजन) का कार्य-निष्पादन
ROLLING STOCK (LOCOMOTIVE) PERFORMANCE

बड़ी/मीटर/छोटी लाइन
B.G./M.G./.NG.

(ई० एम० यू० स्टाक को छोड़कर)
(Excluding Electric Multiple Unit Stock)

मास.....19...के आंकड़
For the month of.....19..,

1 अप्रैल, 19....से...के अन्त तक का कुल योग
Aggregate from 1st April, 19.....to end of.....

compared with

मास.....19.....
the month of.....19....

1 अप्रैल, 19....से ...तक के कुल योग
Aggregate from 1st April, 19....to end of..

की तुलना में

मद Item	भाप Steam		डीजल बिजली Diesel Electric		डीजल हाइड्रालिक और यांत्रिक Diesel Hyd. & Mech.		कुल डीजल Total Diesel		ए० सी० बिजली A. C. Electric		डी० सी० बिजली D. C. Electric		कुल बिजली Total Electric		जोड़ Total	
	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
कA	खB	गC	घD	ङE	चF	छG	जH	झI	ञJ	टK	ठL	डM	ढN	णO	तP	थQ
1. औसत प्राधिकृत स्टाक .. Average authorised stock																
2. लाइन पर औसत कुल संख्या .. Average total number on line.																
3. मरम्मत-अधीन या मरम्मत-प्रतीक्षु स्टाक की औसत संख्या— Average number under or awaiting repairs—																

विभिन्न मदों के संकलन के बारे में अनुदेश

1. औसत प्राधिकृत स्टाक (आबंटन के आधार पर)—में रेलवे बोर्ड द्वारा लाइन के लिए प्राधिकृत किए गए इंजनों की कुल संख्या दिखाई जाएगी, जिनमें प्राधिकृत स्टाक में से आर्डर किए गए निर्माणाधीन परन्तु यातायात के सुपुर्द न किए गए इंजन शामिल हैं। प्राधिकृत स्टाक में से बेच दिए गए अथवा टूट-फूट गए, परन्तु रेलवे बोर्ड की मंजूरी के अभाव में प्रतिस्थापित न किये गये अथवा प्राधिकृत स्टाक की सूची से न हटाए गए इंजन शामिल किए जायेंगे। प्रतिस्थापित किए जाने के बावजूद लाइन पर चल रहे इंजनों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस मद में संचयी आंकड़े देने की जरूरत नहीं है।

2. लाइन पर औसत कुल संख्या (आबंटन के आधार पर)—में लाइन पर वस्तुतः चल रहे इंजनों की औसत संख्या दिखाई जाएगी, जिसमें प्रतिस्थापित किए जा चुकने के बावजूद चलाए जा रहे अथवा फालतू इंजन के तौर पर अलग रखे गए इंजन भी शामिल हैं। अन्य रेलों, अन्य विभागों अथवा स्वक्षेत्रीय लाइन-निर्माण को उधार दिए गए इंजन, जब वे चालू लाइन पर काम न कर रहे हों, तथा नाकारा घोषित किए गए अथवा यातायात से हटा दिए गए अथवा उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के बाद जिनकी मरम्मत पैरा 239-वि० के अनुसार अलाभकर हो, भले ही नाकारा घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त हुई हो अथवा नहीं, शामिल नहीं किए जाएंगे; लेकिन दूसरी रेलों आदि से भाड़े पर लिए गए इंजन शामिल किए जाएंगे। वर्कशापों आदि को पूर्णतः आबंटित किये गए इंजन, जिनमें इस्तेमाल होने वाले कोयले का मूल्य विभागों के नाम प्रभृत होता है और फलतः जिनके द्वारा तय की गई किलोमीटर दूरी आंकड़ों में शामिल नहीं की जाती, भी शामिल किए जाएंगे और उनकी संख्या पाद-टिप्पणी में दिखाई जाएगी। स्थानांन्तरण वाले इंजनों का हिसाब सौंपने की तारीख/समय तक स्थानान्तरण-कर्ता रेलवे द्वारा और प्राप्ति की तारीख/समय से प्राप्तकर्ता रेलवे द्वारा रखा जायेगा। अन्य विभागों को उधार दिये गये इंजनों के मामले में, मरम्मत-अधीन इंजनों के आनुपातिक आंकड़े प्रत्येक महीने हिसाब में लिये जाने चाहिए और 'लाइन पर' के आंकड़ों में, वस्तुतः उधार दिये गये इंजनों के अलावा, उनका मरम्मत वाला आनुपातिक अंश भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

3. मरम्मत-अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्षु इंजनों की औसत संख्या (आबंटन के आधार पर)—

टिप्पणी.—जिस इंजन की शेड में केवल सेवाई की जा रही है अर्थात् जिसकी, सामान्य शेड सुविधाओं के रूप में, धुलाई, सफाई, प्रकाश की व्यवस्था आदि की जा रही है उसे, मरम्मत-अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्षु इंजन नहीं माना जाएगा।

क—भाप और डीजल हाइड्रालिक तथा यांत्रिक इंजनों के सम्बन्ध में—

भाप इंजनों की शेड्यूल I और II की मरम्मत को तथा डीजल रेल इंजनों की त्रैमासिक शेड्यूलो को सेवाई शेड्यूल मानना चाहिए और इन शेड्यूलों की मरम्मत कराने वाले इंजनों को मरम्मत-अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्षु इंजन नहीं मानना चाहिए। यदि शेड्यूल मरम्मत के बाद, इंजन को, सब तरह से तैयार होने पर भी पूरे कलेंडर दिवस के लिए यातायात के काम में नहीं लगाया जाता तो इस इंजन को 'फालतू' गिना जायेगा। लेकिन यदि सेवाई के साथ-साथ कोई मरम्मत की जाती है और रेल इंजन अगले कलेंडर दिन या उससे अगले दिनों इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होता तो जितनी अवधि तक इंजन को विनिर्दिष्ट रूप से मरम्मत के लिए रोका जाय उसे 'मरम्मत-अधीन' माना जायेगा। इस प्रकार, यदि प्रथम कलेंडर दिवस को भाप इंजन का वाश-आउट या डीजल इंजन का मासिक शेड्यूल पूरा होने के बाद,

Instructions for Compilation of different items

1. Average authorised stock (on allotment basis)—is to show the total number of engines authorised for the line by the Railway Board, including engines ordered for, or under construction against the authorised stock and not handed over to traffic. Engines sold or broken up out of the authorised stock, but not replaced or removed from the authorised list for want of sanction from the Railway Board, are to be included. Engines replaced, but still running on the line are not to be included. Cumulative figures are not required for this item.

2. Average total number on line (on allotment basis)—is to show the average number of engines actually on line, including those replaced but still running or laid aside as spare. Engines lent to other Railways, other departments, or home line constructions, when not working on open line, as well as those condemned and withdrawn from traffic or those which after inspection by proper authority are declared to be uneconomic to repair in terms of para 239-F irrespective of whether the sanction for condemnation of the competent authority has been received or not, are to be excluded, but those hired from other Railways, etc., are to be included. Engines exclusively allotted to workshops, etc., the coal used on which is charged to departments and the kilometrage of which is consequently not included in statistics, are also to be included and their number shown in a footnote. The accountal of engines on transfer should be done by transferring Railway upto the date of handing over and by the receiving Railway from the date of taking over. In the case of locomotives lent to other departments, the proportionate figure for locomotives under repairs should be taken into account each month for these locomotives and the on line figure should exclude, in addition to the engines actually on loan, their proportionate share of repairs as well.

3. Average number under or awaiting repairs (on allotment basis).

NOTE.—An engine merely being serviced in a shed, i. e., receiving general shed facilities like washout, cleaning, oiling, lighting, etc., is not to be treated as under or awaiting repairs.

A—For steam and diesel hydraulic & mechanical engines.

Schedules I and II repairs to steam locomotives up to quarterly schedules for diesel locos should be treated as servicing schedules and engines undergoing these schedules should not be treated as under or awaiting repairs. If on expiry of the schedule repairs, an engine though ready in all respects is not utilized to work in traffic, for the entire calendar day, this engine should be counted as 'spare'. However, if any repairs are undertaken alongwith servicing and the locomotive is not available for use on the following calendar day or subsequent days, the period for which the locomotive is detained specifically for repairs should be treated as 'under repairs'. Thus, if after completion of washout for steam or monthly schedule for diesel loco on the first calendar day, an engine has to be detained for the next and

कA	खB	गC	घD	ङE	चF	छG	जH	झI	ञJ	टK	ठL	डM	ढN	णO	तP	थQ
मद 3–(जारी)– Item 3 (contd.)–																
3.01 वर्कशाप में .. In workshop																
3.02 वर्कशाप मरम्मत की प्रतीक्षा में शेड में खड़ा Stabled in sheds awaiting work-shop repairs.																
3.03 शेड में मरम्मत-अधीन Under repair in sheds																

इंजन को अगले दिन या उससे अगले दिनों मरम्मत के लिए रोकना पड़े तो इंजन को प्रथम दिवस 'फालतू' और तत्पश्चात 'मरम्मत-अधीन' दिखाना चाहिए। लेकिन यदि धुलाई के समय में ही साथ-साथ भारी मरम्मत भी की जाये तो इंजन जितनी अवधि तक यातायात के लिए उपलब्ध न हो, उसे 'मरम्मत-अधीन' माना जायेगा।

जब किसी इंजन को अन्य अनुरक्षण शेड्यूल अथवा किसी क्रम-बाह्य मरम्मत के लिए रोका जाये तो जितने कलेंडर दिन इंजन यातायात के लिए उपलब्ध न रहे उतने दिन उसे "मरम्मत-अधीन' माना जाये।

मद 3.01 से 3.03 तक—(क) इन मदों में यांत्रिक वर्कशापों और शेडों में क्रमशः मरम्मत-अधीन और मरम्मत-प्रतीक्षु इंजनों की संख्या दिखाई जाएगी। मद 3.02 के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सिवाय, किसी इंजन को शेड में उसके लौटने के बाद दिन के 0 बजे से लेकर यातायात के लिए अथवा यांत्रिक कर्मशालाओं (वर्कशापों) को सुपुर्द किए जाने के समय तक मरम्मत-अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्षु इंजन माना जाएगा।

(ख) शेडों से मरम्मत के बाद निकलने वाले इंजनों के मामले में, जिस दिन कोई इंजन यातायात के लिए सौंपा जाए उस दिन यदि वह किसी भी गाड़ी के साथ बिल्कुल काम न करे तो उस दिन इंजन को शेड और परिवहन वर्कशाप में मरम्मत-अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्षु इंजन माना जाएगा। लेकिन यदि इंजन को उस दिन जिस दिन उसकी मरम्मत पूरी होने की घोषणा की जाए, किसी मान्यता प्राप्त सेवा में (शेड की शंटिंग को छोड़कर) इस्तेमाल किया जाए तो उसे स्वतः सम्बन्धित सेवा में इस्तेमाल हो रहा इंजन माना जाएगा।

(ग) जिस दिन कोई इंजन किसी यांत्रिक कर्मशाला को सौंपा जाए, उस दिन के लिए इंजन को मरम्मत-अधीन अथवा मरम्मत-प्रतीक्षु इंजन माना जाये, लेकिन शर्त यह है कि उस दिन इंजन ने बिल्कुल काम न किया हो। अनुसूचित तारीख से पहले वर्कशाप में आने वाले इंजन वर्कशाप में केवल अनुसूचित समय से अथवा उस तारीख से, दोनों में जो भी पहले हो, ही जाए माने जाएंगे (मद 3.01) जिस तारीख से कि उनकी मरम्मत (खोलने) का काम हाथ में लिया गया हो। वर्कशाप में आने के दिन और नियत दिन अथवा मरम्मत का काम हाथ में लिए जाने की तारीख के बीच का समय मद 3.02 के अन्तर्गत गिना जाएगा अर्थात यह कि इंजन वर्कशाप मरम्मत की प्रतीक्षा में शेड में खड़ा रहा।

इसके अलावा, जिन वर्कशापों के समीप कोई स्टेब्लिंग लाइन अथवा रेल-इंजन शेड नहीं है, उनके मामले में नियत तारीख के बाद पहुंचने वाले इंजनों को, उस तारीख से वर्कशाप (मद 3.01) में दिखाया जायेगा जिस तारीख को पुर्जे खोलने के लिए उन्हें हटाया गया हो। लेकिन आगमन की तारीख और पुर्जे खोलने के लिए इंजन के ले जाए जाने की तारीख के बीच का समय मद 3.02 के अन्तर्गत दिखाया जाएगा। मद 3.02 में ऐसे इंजनों की संख्या भी दी जायेगी जो मरम्मत के लिए यांत्रिक वर्कशाप को भेजे गये हों लेकिन जगह की कमी के कारण अस्वीकृत कर दिये गये हों और इसलिए जो शेडों में खड़े हों। इसमें ऐसे इंजन भी शामिल किये जायेंगे जो दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होकर दुर्घटना-स्थल पर पड़े हों।

(घ) यह निर्णय करने के लिए कि इंजन ने किसी दिन कोई कार्य किया या नहीं, वर्कशाप अथवा शेड अथवा स्टेशन के बीच की गमन-दूरी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा बशत कि वर्कशाप और शेड अथवा वर्कशाप और स्टेशन के बीच की दूरी 1 6 किलोमीटर से कम हो।

(विवरण 2 की मद 3.07 कुल विभागीय इंजन किलोमीटर—माल—से सम्बन्धित अनुदेशों की टिप्पणी देखें।)

subsequent days for repairs, the locomotive should be shown as 'spare' on the first day and 'under repairs' there after. If, however, heavy repairs are undertaken simultaneously with the period of washout trip schedule, the locomotive is to be considered to be under repairs, throughout the period it is not available for traffic use.

When an engine is stopped for other maintenance schedules or for any out of course repairs, the calendar days on which it is not available for traffic should be treated as under repairs.

Item 3.01 to 3.03.—(*a*) These items are to show the number of engines under or awaiting repairs in Mechanical workshops and sheds respectively. An engine is to be counted under or awaiting repairs in sheds from 0 hours of the day following its return to shed up to the time it is handed over to traffic or to Mechanical workshops, except in cases covered by item 3.02.

(*b*) In the case of engines turned out of sheds after repairs the day on which the engine is made over to traffic is to be counted as a day under or awaiting repairs in sheds and Transportation workshops if the engine does not work at all on any service during that day. However, if the engine is utilised on any recognised service (excluding shed shunting) on the day it is declared as "off repairs" it will be automatically counted as 'engine in use' on the relevant service.

(*c*) The day on which an engine is made over to Mechanical workshop is to be reckoned as a day under or awaiting repairs provided the engine did not work at all during that day. Engines arriving in workshops before the scheduled date should, however, be counted against the workshops (item 3.01) only from the scheduled time or the date from which the repairs (stripping) are taken in hand, whichever is earlier; the interval from the day of arrival in the workshops to the scheduled date or the date on which repairs are undertaken being counted against item 3.02, i. e., stabled in sheds awaiting workshop repairs.

Further, in the case of workshops having no stabling lines or loco sheds near about, engines arriving after the scheduled date should be counted against the workshops (item 3.01) from the date these are taken off for stripping. The interval between the date of arrival and the date of the engine is taken off for stripping is, however, to be counted against item 3.02. Item 3.02 will also include the number of locomotives offered to mechanical workshops for repairs and refused by them for want of accommodation and hence stabled in sheds. It will also include accident damaged locomotives lying at sites.

(*d*) For purposes of deciding whether an engine worked at all during a day, the run between shops or shed or station is to be ignored if the distance between workshop and shed or workshop and station is under 1.6 kilometres.

(See note for the instructions for item 3.07 o St. 2—Total departmental engine kilometres—Goods

कA	खB	गC	घD	ङE	चF	छG	जH	झI	ञJ	टK	ठL	डM	ढN	णO	तP	थQ
3.04 शेड/वर्कशाप से/को जाने वाले इंजन और ऐसे भी जो यांत्रिक /बिजली-गत कारण से शेड या वर्कशाप को/से ठंडे (डेड) जायें .. Engines in transit to and from shed/ workshops and also when moved dead to and from shed or workshop on mechanical/and electrical account.																
3.05 मद 3.01 से 3.04 तक का जोड़ .. Total (item 3.01 to 3.04.)																
4. कारगर स्टाक की संख्या (इस्तेमाल के लिए दुरुस्त) (मद 2–3.05) .. Average number effective (fit for use) (item 2–3.05)																
5. अच्छी मरम्मत शुदा हालत में भण्डार-गत वास्तविक संख्या .. Actual number in good repair stored.																
5क. इस्तेमाल के लिए उपलब्ध वास्तविक संख्या (मद 4-5).. 5A. Average number available for use. (item 4–5).																
6. इस्तेमाल में औसत संख्या.. Average number in use																

(ङ) मरम्मत पूरी होने के बाद जिस दिन यांत्रिक कर्मशाला द्वारा इंजन सौंपा जाए, उसे वर्कशाप में मरम्मत किए जाने (मरम्मत-अधीन) का दिन नहीं माना जाएगा। यदि कोई इंजन उस दिन, जिस दिन कि वह यांत्रिक कर्मशाला द्वारा सौंपा गया, काम करता है तो वह "इस्तेमाल में आ रहे इंजन" के आंकड़ों में स्वतः शामिल हो जाएगा। यदि उसने उस दिन काम नहीं किया है तो उसे "फालतू" के रूप में दिखाया जाएगा।

मद 3.04—इसमें ऐसे रेल इंजनों का पारवहन (ट्रांजिट) समय दिखाया जाएगा जिन्हें यांत्रिक कारणों से ठंडा हो जाने पर शेड से शाप में अथवा आउट स्टेशन से होम शेड में मरम्मत के लिए लाया जाय, बशर्ते कि इंजन ने उस दिन कोई काम न किया हो। मरम्मत के बाद वर्कशाप से शेड को ठंडे जाने वाले इंजनों का पारवहन समय भी, यदि शेड में आने पर इंजन को मरम्मत-अधीन या मरम्मत-प्रतीक्षु माना जाय तो, इसी मद में शामिल किया जायेगा।

ख—डीजल बिजली और बिजली इंजनों के सम्बन्ध में—मद 3.01 से 3.05—ये अनुदेश डीजल बिजली और बिजली इंजनों पर भी लागू होंगे, लेकिन यह अन्तर रहेगा कि नाकारा स्थिति "घंटों के आधार" पर आधारित होगी। पूरे दिन मरम्मत-अधीन या मरम्मत-प्रतीक्षु रहने वाला इंजन एक इंजन दिन के समतुल्य होगा। दिन के किसी अंश में नाकारा रहने के बाद यातायात के लिए सौंपे गये इंजन को उन कुल घंटों के लिए नाकारा गिना जायेगा जिनमें कि वह मरम्मत-अधीन या मरम्मत की प्रतीक्षा में रहा (नाकारा दिवस की गणना वास्तविक नाकारा घंटों को 24 से विभाजित करके की जायेगी) और दिन के बाकी अंश में उसे यथा प्रकरण, "इस्तेमाल में", अथवा "फालतू" माना जाएगा।

जो इंजन खराब होने के बाद ठंडे संचलित किये जायें अथवा यातायात यार्ड में मरम्मत-अधीन रहें उन्हें नाकारा गिना जायेगा और मद 3.04 में दिखाया जायेगा।

शेड/वर्कशाप को मरम्मत के लिए जाने वाले और मरम्मत के बाद वहां से आने वाले रेल इंजन जब अपनी ही पावर से चलें तो उन्हें मद 6.05 (*ii*) में शामिल किया जायेगा।

4. कारगर (इस्तेमाल के लायक) इंजनों की औसत संख्या (आवंटन के आधार पर)

मद 4 = मद 5+6.06+6.07 (अर्थात् मद 2—मद 3.05)

5. अच्छी मरम्मत शुदा हालत में भंडारगत इंजनों की वास्तविक संख्या (आबंटन के अधार पर)—इसमें पूरे कलेंडर महीने के दौरान भण्डार में अच्छी मरम्मत शुदा हालत में खड़े इंजनों की वास्तविक संख्या अर्थात् उन इंजनों की संख्या, जो यद्यपि अच्छी हालत में हैं तो भी अपने पुर्जों में ग्रीज लगी होने से अथवा सीसा मढ़ा होने से उपयोग में नहीं लाए जा सकते, दिखाई जाएगी। जो इंजन मात्र दिन अनुदिन फालतू होते रहते हैं और तत्काल उपलब्ध होते हैं उन्हें इस मद में शामिल नहीं किया जायेगा, बल्कि मद 6.07 में शामिल किया जायेगा।

5–क. उपयोग के लिए उपलब्ध इंजनों की औसत संख्या (आवंटन के आधार पर)—
मद 5–क = मद 4—मद 5

6. इस्तेमाल में आने वाले इंजनों की औसत संख्या।

क—भाप और डीजल हाइड्रालिक तथा यांत्रिक इंजनों के संबंध में (आबंटन के आधार पर)—

(*i*) 'अपेक्षित सहायक' इंजन उस सेवा के अन्तर्गत दिखाए जाएंगे, जिस सेवा के लिए वे काम कर रहे हैं, अर्थात सवारी गाड़ी में लगा अपेक्षित सहायक इंजन मद 6.01—सवारी गाड़ी सेवा के अन्तर्गत दिखाया जाएगा। 'अनपेक्षित सहायक' इंजन और 'खाली इंजन', जैसा कि सामान्य अनुदेश के पैरा 46 में निर्दिष्ट है, उस सेवा

(*e*) The day on which an engine is made over by the Mechanical workshops after repairs is not to be counted as under repairs in shops. If the engine works on the day it is made over by Mechanical workshops, it will automatically come into the 'engine in use' figures. If it did not work during that day, it should be shown as 'spare'.

Item .04.—This will include the transit time of locomotives brought dead on mechanical account from shed to shop or from outstation to home shed for repairs, provided the engine did not work on that day. The transit time of locomotives moving dead from workshop to shed after repairs will also be included under this item if on arrival in the shed the locomotive is treated as under or awaiting repairs.

B—For diesel electric and electric engines. Items 3.01 to 3.05–These instructions will also apply to diesel electric and electric engines, with the difference that the ineffective position is based on 'hourly basis'. An engine remaining under or awaiting repairs for the full day is equivalent to one engine day. An engine handed over to traffic after remaining ineffective for part of a day shall be reckoned as ineffective for the total hours it was under or awaiting repairs, the ineffective day being reckoned by dividing the actual ineffective hours by 24 and the remaining part of the day under 'in use' or spare as may be.

Locomotives on having been out under repairs in traffic yard or having to be moved dead after failure will be reckoned as ineffective and reported under item 3.04.

Locomotives in transit to and from shed/workshop for and after repairs when they move under their own power will be included under item 6.05 (*ii*).

4. Average number effective (fit for use) (on allotment basis).

Item 4 = Items 5+6.06+6.07 (i.e. item 2—item 3.05)

5. Actual number in good repair stored (on allotment basis)—is to show the actual number of engines stored in good repair for the whole of the calendar month, that is, the number of engines which although in good repair are not available for use owing to their parts having been greased or leaded. Engines which are merely spare from day to day and are readily available are not to be included in this item, but in item 6.07.

5-A. Average number available for use (on allotment basis).

Item 5–A = Item 4—Item 5.

6. Average number in use.

A—For steam and diesel hydraulic and mechanical engines (on allotment basis).

(*i*) 'Assisting required' engines are to be shown under the service for which they are working i. e., an assisting required engine on a passenger train is to be shown under item 6.01—passenger service 'Assisting not required' and 'Light' engines are to be allocated to the service for which a light engine or

कA	खB	गC	घD	ङE	चF	छG	जH	झI	ञJ	टK	ठL	डM	ढN	णO	तP	थQ
6.01 सवारी गाड़ी .. Passenger service																
6.02 मिली–जुली गाड़ी .. Mixed service																
6.03 माल गाड़ी .. Goods service																
6.04 शंटिंग, जिसमें साइडिंग भी शामिल है Shunting including siding.																
6.05 विभागीय सेवाएं— Departmental service—																
(*i*) विभागीय सेवा, जिसमें मरम्मत के लिए या मरम्मत के बाद शेड/वर्कशाप से आने-जाने वाले इंजन शामिल नहीं हैं । Departmental service excluding engine in transit to and from shed/work - shop for and after repairs, included under item 6.05 (ii)																
(*ii*) मरम्मत के लिए या मरम्मत के बाद शेड/वर्कशाप से आने-जाने वाले इंजन, जब वे गर्म होकर अपनी ही शक्ति से चलें । Engines in transit to and from shed/ shops for and after repairs when moved in steam under their own power.																
(*iii*) (*i*) और (*ii*) का जोड़] [Total (i) and (ii)]																

के अन्तर्गत रखे जाएंगे, जिस सेवा के लिए कि अनपेक्षित सहायक इंजन अथवा खाली इंजन काम करने के लिए भेजा गया हो अथवा उसने काम किया हो। गाड़ियों की हिफाजत के लिए चलने वाले पाइलट इंजनों को विभागीय गाड़ियों के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा।

assisting not required engine is sent to work or has worked as laid down in paragraph 46 of the General Instructions. Pilot engines which run for the protection of trains should be included under departmental service.

(*ii*) यदि कोई इंजन दिन के दौरान, आधी रात से आधी रात तक, दो या दो से अधिक सेवाओं में इस्तेमाल किया जाए तो उसे प्रत्येक सेवा में खर्च हुए समय के आधार पर अलग-अलग सेवा के अन्तर्गत दिखाया जाएगा। चालन के दौरान और गाड़ी-संचालन से पहले और बाद में गाड़ी इंजनों के जो शंटिंग इंजन घंटे हों उन्हें आबंटन के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सेवा घंटों का हिस्सा माना जाएगा, अर्थात् यथा प्रकरण सवारी गाड़ी, मिली–जुली गाड़ी, माल गाड़ी अथवा विभागीय गाड़ी सेवा के घंटों का।

(*ii*) If an engine is used on two or more services during the day, from midnight to midnight, it is to be allocated to the different services on the basis of the time spent on each service. Shunting engine hours of train engines (during run as well before or after working train) should, for the purpose of allocation be treated as part of the relevant service hours, e. g., passenger, mixed, goods or departmental as the case may be.

(*iii*) कालम 'त' और 'थ' में दिया जाने वाला जोड़ मद 6.01 से 6.06 तक के बारे में दिखाने की जरूरत नहीं है।

(*iii*) Total under columns P and Q need not be reported for items 6.01 to 6.06.

मद 6.01 से 6.03—में यातायात के सम्बन्ध में सवारी, मिली–जुली और माल गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को दिखाया जायेगा, लेकिन शंटिंग में अथवा साइडिंग में लगाये गये इंजनों को छोड़कर।

Items 6.01 to 6.03—are to include engines used on, passenger, mixed and goods services respectively on traffic account, excluding those employed on shunting and in sidings.

मद 6.04—में यातायात शंटिंग के लिए (गाड़ी चालन से पहले, चालन के दौरान अथवा चालन के बाद गाड़ी इंजनों द्वारा की जाने वाली शंटिंग को छोड़कर) तथा यातायात साइडिंगों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन शामिल किए जाएंगें। वर्कशाप आदि में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन, जिनके द्वारा तै की गई किलोमीटर दूरी आंकड़ों में शामिल न की गई हो, अलग से पाद-टिप्पणी में दिखाए जाने चाहिए। कृपया सामान्य अनुदेश का पैरा 38 देखें।

Item 6.04—is to include engines used on traffic shunting (excluding train engines shunting before, during, or after the train run) as well as those in traffic sidings. Engines employed in workshops, etc., the kilometrage of which is not included in statistics, should also be shown separately in a footnote. (See paragraph 38 of General Instructions.)

मद 6.05 (*i*)— में विभागीय गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सभी इंजन शामिल किए जाएंगे, सिवाय उन इंजनों के जो मद 6.05 (*ii*) के अनुसार पारवहन में हों। अनन्य रूप से वर्कशाप आदि को आंबटित इंजन, जिनमें खर्च होने वाले कोयले का प्रभार सम्बधित विभाग के नाम डाला जाता हो और परिणामतः जिनकी किलोमीटर दूरी आंकड़ों में शामिल न की जाती हो, शामिल किये जायेंगे और पाद-टिप्पणी में भी दिखाए जायेंगे।

Item 6.05 (*i*)—is to include all engines employed on departmental service except engines in transit as per item 6.05 (*ii*). Engines exclusively allotted to workshops, etc., the coal used on which is charged to the department concerned and the kilometrage of which is consequently not included in statistics, are to be included and also shown in a footnote.

मद 6.05. (*ii*)—मरम्मत के लिए और मरम्मत के बाद शेड/वर्कशाप से आने-जाने वाले ऐसे इंजनों की संख्या, जो अपनी भाप/शक्ति से चलें, मद 6.05 (*ii*) में दिखाई जायेगी।

Item 6.05 (*ii*)—The number of engines in transit to and from shed/ workshops for and after repairs when these move under their own steam/power, are to be shown against item 6.05 (*ii*).

कA	खB	गC	घD	ङE	चF	छG	जH	झI	ञJ	टK	ठL	डM	ढN	णO	तP	थQ
6.06 जोड़ (6.01 से 6.05) Total (6.01 to 6.05)																
6.07 शेडों में फालतू इंजनों की औसत संख्या (जो उपलब्ध हों लेकिन किसी कलेंडर दिन इस्तेमाल न किये जायं). Average number spare in sheds (available but not used on a calendar day).																
7. परिचालन के लिए लाइन पर इंजनों की औसत संख्या— Average number of engines on the line for operation—																
7.01 सवारी गाड़ी सेवा .. Passenger service																
7.02 मिली–जुली गाड़ी सेवा Mixed service																
7.03 मालगाड़ी सेवा .. Goods service																

मद 6.06—मद 6.01 से मद 6.05 तक का जोड़ है, जिसमें दोनों शामिल हैं ।

मद 6.07.—में केवल फालतू इंजन, जो इस्तेमाल के लिए तुरन्त उपलब्ध हों, अर्थात् मद 5 में शामिल इंजनों से भिन्न इंजन शामिल किए जायेंगे । मरम्मत के बाद वर्कशाप से शेड में अथवा आउट स्टेशन से शेड में ठंडे लाये गये दुरूस्त इंजन इस मद में आयेंगे बशर्ते कि उस दिन इंजन किसी गाड़ी सेवा पर काम न करें ।

किसी इंजन को फालतू इंजन तभी माना जाएगा जब वह आधी रात से आधी रात तक किसी एक दिन के 24 घंटों में वास्तव में काम न करे ।

(कृपया मद 3 के अनुदेशों का पैरा (ङ) भी देखें ।)

ख––डीजल बिजली और बिजली इंजनों के सम्बन्ध में (क्षेत्रीय आधार पर) —

(*i*) भाप, डीजल हाइड्रालिक और यांत्रिक कर्षणों से सम्बन्धित अनुदेश डीजल बिजली और बिजली इंजनों के लिए भी वैध हैं, फर्क केवल इतना है कि वे इंजनों की घंटावार व्यवस्था पर क्षेत्रीय आधार पर आधारित हैं । कृपया "सामान्य अनुदेश" की मद 6 (ख) भी देखें । इस्तेमाल में आ रहे सेवा योग्य इंजनों में वे इंजन भी शामिल होंगे जो यातायात यार्ड में पड़े हों । वास्तविक संचलन में लगे और यातायात यार्ड में पड़े इंजनों का अलग-अलग ब्यौरा मुख्य विवरण के एक पृथक अनुबन्ध में दिया जाय ।

(*ii*) यातायात की जरूरतों से फालतू, लेकिन इस्तेमाल के लिए दुरुस्त, जो रेल इंजन लगातार 12 घंटे या अधिक समय तक विनिदिष्ट शेडों/आउट स्टेशनों पर खड़े रहें उन्हें फालतू माना जायेगा और उनकी सूचना मद 6.07 में दी जायेगी ।

7. **परिचालन के लिए लाइन पर इंजनों की औसत संख्या––**

(यह सूचना केवल भाप और डीजल हाइड्रालिक तथा यांत्रिक इंजनों के बारे में दी जायेगी—आवंटन के आधार पर) ।

$$\text{मद } 7.01 = \text{मद } 6.01 + \frac{\text{मद } 6.01 \times (\text{मद } 2 - 6.06)}{\text{मद } 6.01 + 6.02 + 6.03 + (\text{मद } 6.04 + 6.05) \text{ का } 2/3}$$

$$\text{मद } 7.02 = \text{मद } 6.02 + \frac{\text{मद } 6.02 \times (\text{मद } 2 - 6.06)}{\text{मद } 6.01 + 6.02 + 6.03 + (\text{मद } 6.04 + 6.05) \text{ का } 2/3}$$

$$\text{मद } 7.03 = \text{मद } 6.03 + \frac{\text{मद } 6.03 \times (\text{मद } 2 - 6.06)}{\text{मद } 6.01 + 6.02 + 6.03 + (\text{मद } 6.04 + 6.05) \text{ का } 2/3}$$

Item 6.06—is the total of items 6.01 to 6.05, both inclusive.

Item 6.07—is to include only spare engines which are readily available for use i. e., other than those included in item 5. Fit engines brought dead from shop to shed after repair or from out station to shed and vice-versa will come under this provided the engines do not work on any service that day.

An engine is to be considered as spare only if not actually working during the 24 hours of any one day from midnight to midnight.

(See also paragraph (*e*) of the instructions for item 3.)

B—For diesel electric and electric engines (on territorial basis).

(*i*) The instructions relating to steam, diesel hydraulic and mechanical tractions are also valid for diesel electric and electric engines, only difference being that they are based on territorial basis on hourly disposition of engines. Also refer to item 6 (*b*) of General Instructions. Service-wise engines in use will also include idling in traffic yard. Separate break-up of engines in actual movement and those idling in traffic yard may be given in a separate Annexure to the main statement.

(*ii*) Locomotives surplus to traffic requirement but fit for use which are stabled at specified sheds/outstation points for a consecutive period of 12 hours or more are to be reckoned as spare and reported under item 6.07.

7. **Average number of engines on the line for operation.**

(To be reported only in respect of steam and diesel hydraulic and mechanical—on allotment basis)

$$\text{Item } 7.01 = \text{Item } 6.01 + \frac{\text{Item } 6.01 \times (\text{Item } 2 - 6.06)}{\text{Items } 6.01 + 6.02 + 6.03 + 2/3 \text{ of (Items } 6.04 + 6.05)}$$

$$\text{Item } 7.02 = \text{Item } 6.02 + \frac{\text{Item } 6.02 \times (\text{Item } 2 - 6.06)}{\text{Items } 6.01 + 6.02 + 6.03 + 2/3 \text{ of (Items } 6.04 + 6.05)}$$

$$\text{Item } 7.03 = \text{Item } 6.03 + \frac{\text{Item } 6.03 \times (\text{Item } 2 - 6.06)}{\text{Items } 6.01 + 6.02 + 6.03 + 2/3 \text{ of (Items } 6.04 + 6.05)}$$

कA	खB	गC	घD	ङE	चF	छG	जH	झI	ञJ	टK	ठL	डM	ढN	णO	तP	थQ
7.04 शंटिंग जिसमें साइडिंग शामिल हैं .. Shunting including siding.																
7.05 विभागीय सेवा .. Departmental service.																
7.06 जोड़ (7.01 से 7.05).. Total (7.01 to7.05)																
8. खर्च हुए कुल घंटों का प्रतिशत— Percentage of total hours spent—																
8.01 यातायात के काम में लगे In operation																
8.02 अच्छी मरम्मत शुदा हालत में भंडारगत .. In good repair stored.																
8.03 फालतू .. Spare																
8.04 वर्कशाप में मरम्मत-अधीन .. Under repair in workshops.																
8.05 वर्कशाप मरम्मत की प्रतीक्षा में शेडों में खड़े Stabled in sheds awaiting workshop repairs.																
8.06 रनिंग शेडों में मरम्मत-अधीन .. Under repair in running sheds.																
8.07 पारवहन (ट्रांजिट) में .. In transit.																

$$\text{मद } 7.04 = \text{मद } 6.04 + \frac{\text{मद } 6.04 \text{ का } 2/3 \times (\text{मद } 2 - 6.06)}{\text{मद } 6.01 + 6.02 + 6.03 + (\text{मद } 6.04 + 6.05) \text{ का } 2/3}$$

$$\text{Item } 7.04 = \text{Item } 6.04 + \frac{2/3 \text{ of Item } 6.04 \times (\text{Item } 2 - 6.06)}{\text{Items } 6.01 + 6.02 + 6.03 + 2/3 \text{ of (Items } 6.04 + 6.05)}$$

$$\text{मद } 7.05 = \text{मद } 6.05 + \frac{\text{मद } 6.05 \text{ का } 2/3 \times (\text{मद } 2 - 6.06)}{\text{मद } 6.01 + 6.02 + 6.03 + (\text{मद } 6.04 + 6.05) \text{ का } 2/3}$$

$$\text{Item } 7.05 = \text{Item } 6.05 + \frac{2/3 \text{ of Item } 6.05 \times (\text{Item } 2 - 6.06)}{\text{Items } 6.01 + 6.02 + 6.03 + 2/3 \text{ of (Items } 6.04 + 6.05)}$$

मद 7.06 = मद 7.01+7.02+7.03+7.04+7.05
(यह मद, मद 2 से मेल खाएगी)

Item 7.06 = Items 7.01+7.02+7.03+7.04+7.05
(This item will agree with item 2.)

टिप्पणी —उपर्युक्त फार्मूले इस धारणा पर आधारित हैं कि शंटिंग और विभागीय इंजनों की मरम्मत आदि में मुख्य गाड़ी सेवाओं के इंजनों की तुलना में 2/3 समय लगता है।

NOTE.—The above formulae are based on the presumption that shunting and departmental engines take 2/3 times as compared with main services, for repair etc.,

8. **खर्च हुए कुल इंजन घंटों का प्रतिशत—**

(सूचना केवल भाप और डीज़ल हाइड्रालिक तथा यांत्रिक इंजनों के बारे में दी जाएगी—आबंटन के आधार पर)।

8. **Percentage of total engine hours spent.**

(To be reported for steam and diesel hydraulic and mechanical engines only—on allotment basis)

$$\text{मद } 8.01 = \frac{\text{विवरण 1-ख की मद } 5.07+5.08+\text{विवरण 2 की मद } 5.05+5.06 \text{ से प्राप्त कुल इंजन घंटे (सभी सेवाओं के अन्य घंटों को मिलाकर)—स्वक्षेत्रीय रेलवे पर और संयुक्त स्टेशनों पर अन्य रेलों के इंजन घंटे+अन्य रेलों पर और संयुक्त स्टेशनों पर स्वक्षेत्रीय रेलवे के इंजन घंटे (देखें 'सामान्य अनुदेश' के पैरा 13 और 38) } \times 100}{\text{लाइन पर इंजनों की संख्या (मद 2) } \times \text{ महीने के दिन } \times 24}$$

Total engine hours (including other hours for all services) as obtained from items 5.07+5.08 of St. 1-B+ Items 5.05+5.06 of statement 2 *less* hours of other railway engines on home railway and at joint stations + hours of home railway engines on other railways and at joint stations vide paragraph 13 and 38 of General Instructions X 100

$$\text{Item } 8.01 = \frac{}{\text{Number of engines on line (Item 2)} \times \text{days in the month} \times 24.}$$

टिप्पणी —छोटी लाइन से सम्बन्धित अनुदेश डीजल बिजली और बिजली इंजनों की मद 13.02 (घ) से सम्बन्धित अनुदेशों के बाद दिये गये हैं।

NOTE.—Instructions for narrow gauge lines will be found after the end of instructions for item 13.02 (*d*) for diesel electric and electric engines.

$$\text{मद } 8.02 = \frac{\text{मद } 5 \times 100}{\text{मद } 2}$$

$$\text{Item } 8.02 = \frac{\text{Item } 5 \times 100}{\text{Item } 2}$$

$$\text{मद } 8.03 = \frac{\text{मद } 6.07 \times 100}{\text{मद } 2}$$

$$\text{Item } 8.03 = \frac{\text{Items } 6.07 \times 100}{\text{Item } 2}$$

$$\text{मद } 8.04 = \frac{\text{मद } 3.01 \times 100}{\text{मद } 2}$$

$$\text{Item } 8.04 = \frac{\text{Item } 3.01 \times 100}{\text{Item } 2}$$

$$\text{मद } 8.05 = \frac{\text{मद } 3.02 \times 100}{\text{मद } 2}$$

$$\text{Item } 8.05 = \frac{\text{Item } 3.02 \times 100}{\text{Item } 2}$$

$$\text{मद } 8.06 = \frac{\text{मद } 3.03 \times 100}{\text{मद } 2}$$

$$\text{Item } 8.06 = \frac{\text{Item } 3.03 \times 100}{\text{Item } 2}$$

$$\text{मद } 8.07 = \frac{\text{मद } 3.04 \times 100}{\text{मद } 2}$$

$$\text{Item } 8.07 = \frac{\text{Item } 3.04 \times 100}{\text{Item } 2}$$

कA	खB	गC	घD	ङE	चF	छG	जH	झI	ञJ	टK	ठL	डM	N	णO	तP	थQ
8.08 रनिंग शेडों में निठल्ले खड़े और सेवाई, मामूली मरम्मत के अधीन : (100–मद 8.01 से 8.07) Under servicing, minor repairs and idling in running sheds. (100–Items 8.01 to 8.07).																
9. निम्नलिखित सेवाओं में कार्यरत प्रति इंजन प्रतिदिन इंजन कि.मी.– Engine kilometres per day per engine in use on–																
9.01 सवारी गाड़ी सेवा .. Passenger service																
9.02 मिलीजुली गाड़ी सेवा .. Mixed service																
9.03 मालगाड़ी सेवा .. Goods service																

मद 8.08 = 100—(मद 8.01 से 8.07)

Item 8.08=100—(Item 8.01 to 8.07)

9. पृथक पृथक सेवाओं में कार्यरत प्रति इंजन प्रति दिन इंजन किलोमीटर—

9. **Engine kilometres per day per engine in use on individual services.**

क—भाप और डीजल हाइड्रालिक तथा यांत्रिक (आबंटन के आधार पर)—

A—*Steam and diesel hydraulic and mechanical engines (on allotment basis).*

मद 9.01 = विवरण 1-ख की मद 1.01+विवरण 1-ख की मद 2.02+3.04 (मिली-जुली का सवारी अंश छोड़कर)—स्वक्षेत्रीय रेलवे पर अन्य रेलों के इंजनों की किलोमीटर दूरी+स्वक्षेत्रीय रेलवे के इंजनों की अन्य रेलों पर किलोमीटर दूरी (देखिए "सामान्य अनुदेश" का पैरा 13) / मद 6.01×महीने में दिनों की संख्या

Item 9.01 = Item 1.01 of Statement I-B+Items 2.02 and 3.04, (excluding passenger proportion of mixed) of Statement I-B *less* kilometrage of other railway engines on home railway + kilometrage of home railway engines on other railways vide para 13 of General Instructions / Item 6.01 × No. of days in the month

मद 9.02 = विवरण 1-ख की मद 1.04+विवरण 1-ख की मद 2.02 और 3.04 और विवरण 2 की मद 2.02 और 3.01 से 3.03 तक का मिली-जुली का अंश–स्वक्षेत्रीय रेलवे पर अन्य रेलों के इंजनों की किलोमीटर दूरी+स्वक्षेत्रीय रेलवे के इंजनों की अन्य रेलों पर किलोमीटर दूरी (देखिए "सामान्य अनुदेश" का पैरा 13) / मद 6.02×महीने में दिनों की संख्या

Item 9.02 = Item 1.04 of Statement I-B+mixed proportion of items 2.02 and 3.04 of St. I-B and of items 2.02 and 3.01 to 3.03 of St. 2 *less* kilometrage of other railway engines on home railway + kilometrage of home railway engines on other railways vide para 13 of General Instructions / Item 6.02 × No. of days in the month

मद 9.03 = विवरण 2 की मद 1.01+विवरण 2 की मद 2.02 और 3.01 से 3.03 (मिली-जुली गाड़ियों का माल अंश छोड़कर)—स्वक्षेत्रीय रेलवे पर अन्य रेलों के इंजनों की किलोमीटर दूरी+स्वक्षेत्रीय रेलवे के इंजनों की अन्य रेलों पर किलोमीटर दूरी (देखिए "सामान्य अनुदेश" का पैरा 13) / मद 6.03×महीने में दिनों की संख्या

Item 9.03 = Item 1.01 of Statement 2+item 2.02 and 3.01 to 3.03 (excluding goods proportion of mixed) of St. 2 *less* kilometrage of other railway engines on home railway + kilometrage of home railway engines on other railways vide para 13 of General Instructions / Item 6.03 × No. of days in the month

ख– डीजल, बिजली और बिजली इंजन (क्षेत्रीय आधार पर)—

B—Diesel electric and electric engines (on territorial basis)

मद 9.01 = विवरण 1-ख की मद 1.01+विवरण 1-ख की मद 2.02 और 3.04 (मिली-जुली का सवारी अंश छोड़कर) / मद 6.01×महीने में दिनों की संख्या

Item 9.01 = Items 1.01 of Statement 1-B+items 2.02 and 3.04 (excluding passenger proportion of mixed) of Statement 1-B / Item 6.01×No. of days in the month.

मद 9.02 = विवरण 1-ख की मद 1.04+विवरण 1-ख की मद 2.02 और 3.04 का तथा विवरण 2 की मद 2.02 और 3.01 का मिला-जुला अंश / मद 6.02×महीने में दिनों की संख्या

Item 9.02 = Item 1.04 of Statement 1-B+ mixed prop. of items 2.02 and 3.04 of Statement 1-B and of item 2.02 and 3.01 to 3.03 of Statement 2 / Item 6.02 ×No. of days in the month

मद 9.03 = विवरण 2 की मद 1.01+विवरण 2 की मद 2.02 और 3.01 (मिली-जुली का माल अंश छोड़कर) / मद 6.03×महीने में दिनों की संख्या

Item 9.03 = Item 1.01 of Statement 2 +items 2.02 and 3.01 to 3.03 (exclu. goods proportion of mixed) of the Statement 2. / Item 6.03 ×No. of days in the month

टिप्पणी —जोड़ (कालम 'त' और 'थ') के आंकड़े देने की जरूरत नहीं है।

NOTE.—Figures need not be reported for total (columns P and Q)

कA	खB	गC	घD	ङE	चF	छG	जH	झI	ञJ	टK	ठL	डM	ढN	णO	तP	थQ
10. निम्नलिखित सेवाओं में लाइन पर प्रति इंजन प्रतिदिन इंजन कि० मी०— Engine kilometres per day per engine on line on—																
10.01 सवारी गाड़ी सेवा . . Passenger service																
10.02 मिली-जुली गाड़ी सेवा Mixed service																
10.03 माल गाड़ी सेवा . . Goods service																
11. सभी सेवाओं में कार्यरत प्रति-इंजन प्रतिदिन इंजन किलो-मीटर (मद 6.06) Engine kilometres per day per engine in use on all services (item 6.06).																
12. लाइन पर प्रति इंजन प्रतिदिन इंजन किलोमीटर (मद 2) Engine kilometres per day per engine on line on all services (item2).																

10. अलग-अलग सेवाओं में लाइन पर प्रति इंजन प्रतिदिन इंजन किलोमीटर—

(केवल भाप, डीजल हाइड्रालिक और यांत्रिक के बारे में, आंबटन के आधार पर, सूचना दी जाय) :

$$\text{मद } 10.01 = \frac{\text{मद } 9.01 \text{ की तरह ही इंजन किलोमीटर}}{\text{मद } 7.01 \times \text{महीने में दिनों की संख्या}}$$

$$\text{मद } 10.02 = \frac{\text{मद } 9.02 \text{ की तरह ही इंजन किलोमीटर}}{\text{मद } 7.02 \times \text{महीने में दिनों की संख्या}}$$

$$\text{मद } 10.03 = \frac{\text{मद } 9.03 \text{ की तरह ही इंजन किलोमीटर}}{\text{मद } 7.03 \times \text{महीने में दिनों की संख्या}}$$

11. सभी सेवाओं में कार्यरत प्रति इंजन प्रतिदिन इंजन किलोमीटर—

क-भाप और डीजल हाइड्रालिक तथा यांत्रिक—आबंटन के आधार पर—

$$\frac{\text{(विवरण 1-ख की मद } 1.06+3.05+4)+(\text{विवरण 2 की मद } 1.04+3.07+4)-\text{स्वक्षेत्रीय रेलवे पर तथा संयुक्त स्टेशनों पर अन्य रेलों के इंजनों की किलोमीटर दूरी+स्वक्षेत्रीय रेलवे के इंजनों की अन्य रेलों पर और संयुक्त स्टेशनों पर किलोमीटर दूरी (देखिए "सामान्य अनुदेश" का पैरा 13) (कृपया "सामान्य अनुदेश" का पैरा 38 भी देखें)}{(\text{मद } 6.06\text{—वर्कशाप आदि में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की संख्या जिनकी किलोमीटर दूरी आंकड़ों में शामिल नहीं है}) \times \text{महीनों में दिनों की संख्या}}$$

ख— डीजल बिजली और बिजली इंजन (क्षेत्रीय आधार पर)—

$$\frac{(\text{विवरण 1-ख की मद } 1.06+3.05+4)+(\text{विवरण 2 की मद } 1.04+3.07+4)}{\text{मद } 6.06 \times \text{महीने में दिनों की संख्या}}$$

टिप्पणी.—जोड़ (कालम 'त' और 'थ') के आंकड़े देने की जरूरत नहीं है।

12. लाइन पर प्रति इंजन, प्रति दिन इंजन किलोमीटर (आबंटन के आधार पर)—

क—भाप, डीजल हाइड्रालिक और यांत्रिक इंजनों के संबंध में—

$$\frac{\text{(विवरण 1ख की मद } 1.06+3.05+4)+(\text{विवरण 2 की मद } 1.04+3.07+4)-\text{स्वक्षेत्रीय रेलवे पर तथा संयुक्त स्टेशनों पर और संयुक्त स्टेशनों पर किलोमीटर दूरी (देखिए "सामान्य अनुदेश" का पैरा 13)}{(\text{मद } 2\text{—वर्कशाप आदि में इस्तेमाल में आ रहे इंजनों की संख्या, जिनकी किलोमीटर दूरी आंकड़ों में शामिल नहीं की जाती}) \times \text{महीने में दिनों की संख्या}}$$

ख— डीजल बिजली और बिजली इंजनों के संबंध में—

$$\frac{\text{(विवरण 1-ख की मद } 1.06+3.05+4)+(\text{विवरण 2 की मद } 1.04+3.07+4)-\text{स्वक्षेत्रीय रेलवे पर तथा संयुक्त स्टेशनों पर अन्य रेलों के इंजनों की किलोमीटर दूरी+अन्य रेलों पर और संयुक्त स्टेशनों पर स्वक्षेत्रीय रेलवे के इंजनों की किलोमीटर दूरी (देखें "सामान्य अनुदेश" का पैरा 13)}{(\text{मद } 2\text{—वर्कशाप आदि में इस्तेमाल हो रहे इंजनों की संख्या, जिनकी किलोमीटर दूरी आंकड़ों में शामिल नहीं की जाती}) \times \text{महीने में दिनों की संख्या}}$$

10. Engine kilometres per day per engine on the line on individual services.

(To be reported only for steam and diesel hydraulic and mechanical on allotment basis)

$$\text{Item } 10.01 = \frac{\text{Engine kms. as for item } 9.01}{\text{Item } 7.01 \times \text{No. of days in the month}}$$

$$\text{Item } 10.02 = \frac{\text{Engine kms. as for item } 9.02}{\text{Item } 7.02 \times \text{No. of days in the month}}$$

$$\text{Item } 10.03 = \frac{\text{Engine kms. as for item } 9.03}{\text{Item } 7.03 \times \text{No. of days in the month}}$$

11. Engine kilometres per day per engine in use on all services.

A—Steam and diesel hydraulic and mechanical engines (on allotment basis).

$$\frac{\text{(Items } 1.06+3.05+4 \text{ of Statement I-B)} + \text{(Items } 1.04+3.07+4 \text{ of Statement 2) } \textit{less} \text{ kilometrage of other railway engines on home railway and joint stations+kilometrage of home railway engines on other railways and joint stations vide para 13 of General Instructions. (See also para 38 of General Instructions).}}{\text{(Item 6.06 } \textit{less} \text{ number of engines used in workshop, etc., the kilometrage of which is not included in statistics)} \times \text{No. of days in the month.}}$$

B—Diesel electric and electric engines (on territorial basis).

$$\frac{\text{(Items } 1.06+3.05+4 \text{ of statement 1-B)+(Items } 1.04+3.07+4 \text{ of Statement 2)}}{\text{Item } 6.06 \times \text{No. of days in the month}}$$

Note: figures need not be reported for total (Columns P and Q)

12. Engine kilometres per day per engine on line (on allotment basis).

A—For steam, diesel hydraulic and mechanical engines.

$$\frac{\text{(Items } 1.06+3.05+4 \text{ of statement 1-B)+(Items } 1.04+3.07+4 \text{ of Statement 2) } \textit{less} \text{ kilometrage of other railway engines on home railway and joint stations + kilometrage of home railway engines of other railways and joint stations vide para 13 of General Instructions.}}{\text{(Item 2 } \textit{less} \text{ number of engines used in workshops etc., the kilometrage of which is not included in the statistics)} \times \text{No. of days in the month.}}$$

—For diesel electric and electric engines.

$$\frac{\text{Items } 1.06+3.05+4 \text{ of Statement I-B)+Items } 1.04+3.07+4 \text{ of Statement 2 } \textit{less} \text{ kilometrage of other railway engines on home railway and joint stations + kilometrage of home railway engines on other railways and joint stations vide para 13 of General Instructions.}}{\text{(Item 2 } \textit{less} \text{ number of engines used in workshops etc., the kilometrage of which is not included in the statistics)} \times \text{No. of days in the month.}}$$

कA	खB	गC	घD	ङE	चF	छG	जH	झI	ञJ	टK	ठL	डM	ढN	णO	तP	थQ
13. इंजन की खराबियां— Engine failures—																
13.01 संख्या— Number—																
(क) सवारी गाड़ियों पर (a) On passenger trains.																
(ख) मिली-जुली गाड़ियों पर (b) On mixed trains																
(ग) माल गाड़ियों पर (c) On goods trains																
(घ) जोड़ (क+ख+ग) (d) Total (a+b+c)																

13. इंजन की खराबियां—

मद 13.01—(*i*) कोई इंजन खराब हुआ तब माना जाता है जब वह अपनी निर्धारित गाड़ी को, विहित भार के अन्दर, प्रस्थान से (अर्थात् गाड़ी में लग जाने के बाद से) गन्तव्य स्थान तक (अर्थात् उस प्रथम शेड अथवा स्थान तक, जहां कि इंजन को अलग किया जाना है, अथवा योजक आरेख (लिंक डायग्राम) के अनुसार दूसरी गाड़ी में जुड़ना है) खींचने में असमर्थ हो अथवा नीचे उल्लिखित कारणों से गंतव्य स्थान पर, भाप-चालित इंजन हो तो 1 घंटा या अधिक देर से पहुंचे और डीजल या बिजली इंजन हो तो सवारी गाड़ी के मामले में 30 मिनट या अधिक देर से पहुंचे और माल गाड़ियों के मामले में 60 मिनट या अधिक देर से पहुंचे :—

(क) दोषपूर्ण अभिकल्प (डिजाइन) ।

(ख) दोषपूर्ण सामग्री ।

(ग) वर्कशाप में घटिया काम ।

(घ) शेड में घटिया काम ।

(ङ) इंजन कर्मीदल द्वारा कुप्रबन्ध ।

(च) खराब ईंधन ।

(छ) खराब पानी ।

टिप्पणी.—सवारी गाड़ियों के मामले में, समय की हानि को शुद्ध रूप में लिया जायेगा अर्थात् खोये हुए समय में से पूरे किये गये समय को घटाकर । माल गाड़ियों के मामले में, समय की हानि सकल रूप में होगी, क्योंकि पूरे किये गये समय के आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(*ii*) मद 13.01 में सभी गाड़ियों के इंजनों, सहायक इंजनों और खाली इंजनों की खराबियों के आंकड़े शामिल किये जायेंगे, लेकिन विभागीय, नियमित शंटिंग और साइडिंग इंजनों के नहीं । अन्य रेलवे इंजनों की खराबियां (देखें "सामान्य अनुदेश" का पैरा 13) भी शामिल नहीं की जायेंगी ।

(*iii*) अपेक्षित सहायक, अनपेक्षित सहायक और खाली इंजनों की खराबियां उनकी अपनी-अपनी गाड़ी सेवाओं अर्थात् सवारी, मिली-जुली और माल के अन्तर्गत शामिल की जायेंगी ।

(*iv*) डीजल और बिजली इंजनों की खराबी के ऐसे सभी मामले, जिनके फलस्वरूप, विकास-अधीन हीन-स्तरीय और देसी कलपुर्जों की खराबी के कारण, सवारी गाड़ियों को 30 मिनट से अधिक का और माल-गाड़ियों को 60 मिनट से अधिक का विलम्ब होता है, अब इंजन की खराबी के मामले समझे जाने चाहिए और मद 13 में शामिल किये जाने चाहिए ।

(*v*) रेल इंजनों का शेड्यूल ओवर ड्यू होने के बाद 24 घंटे तक यदि उनमें कोई खराबी हो तो उसे इंजन की खराबी माना जाय और मद 13 में शामिल किया जाय ।

(*vi*) परीक्षण इंजन जब किसी गाड़ी को खींच रहे हों तो उनके प्रथम चक्र-फेरा परीक्षण चालन (भारी शेड्यूल, री-पावर पैकिंग, दुर्घटना मरम्मत, आर्मेचर, टर्बो-चार्जर जनरेटर आदि बड़े कलपुर्जों के परिवर्तन के बाद के चालन) से सम्बन्धित उनकी खराबी के किसी भी मामले को, जब परीक्षण संदेश पहले से जारी कर दिया गया हो तो, इंजन की खराबी न माना जाय । बाद के परीक्षण-चालन के दौरान, जब इंजन किसी गाड़ी को खींच रहा हो तब, यदि कोई खराबी होती है तो उसे इंजन की खराबी मानकर मद 13 में शामिल किया जाना चाहिए ।

13. Engine Failure.

13.01 (i) An engine is considered to have failed when it is unable to work its booked train within the prescribed load from start, (i. e., after being attached on to the train), to destination (i. e., to the first shed or point where the engine is booked to cut off or to work another train as per link diagram) or causes a delay in arrival at destination of one hour or more in the case of steam locomotives and 30 minutes or more for passenger trains and 60 minutes or more for freight trains in the case of diesel and electrical locomotives, due to undermentioned causes:

(a) Defective design.

(b) Defective material.

(c) Bad workmanship in shops.

(d) Bad workmanship in shed.

(e) Mismanagement by engine crew.

(f) Bad fuel.

(g) Bad water.

NOTE.—In the case of passenger train, the loss of time shall be taken as net i. e., time lost minus time gained whereas in the case of goods trains, the loss of time should be gross as the time gained is not maintained.

(ii) Engine failures of all trains, assisting and light engines, but not those of departmental, regular shunting and siding engines, are to be included in item 13.01. Failures of other railway engines vide para 13 of General Instructions are also to be excluded.

(iii) Failures of assisting required, assisting not required and light engines will be included under the respective services to which they are related i. e., passenger, mixed or goods.

(iv) All cases of failures of diesel and electric engines resulting in loss of time of more than 30 minutes for passenger trains and 60 minutes for freight trains due to failure of sub-standard and indigenous items under development should now be treated as engine failures and included under item 13.

(v) Failures of locomotives which are overdue schedules upto 24 hours should continue to be reckoned as engine failures and included under item 13.

(vi) All cases of failures of trial engines when working a load may not be reckoned as failures for their first round-trip trial run (after heavy schedules, repower packing, accidents repairs, change of major components like armature, turbo-charger generator, etc.) when a trial message is issued in advance. Any failure during subsequent trial run while working a load should be reckoned as engine failure and included under item 13.

कA	खB	गC	घD	ङE	चF	छG	जH	झI	ञJ	टK	ठL	डM	ढN	णO	तP	थQ
13.02 प्रति इंजन खराबी इंजन किलोमीटर— Engine kilometres per engine failure-																
(क) सवारी गाड़ियां .. (a) Passenger trains																
(ख) मिली-जुली गाड़ियां (b) Mixed trains																
(ग) माल गाड़ियां .. (c) Goods trains																
(घ) औसत .. (d) Average.																

विवरण अगले महीने की 20 तारीख को या उसके पहले भेज दिया जाय।
To be posted on or before 20th of the month following.

मद 13.02—प्रति इंजन खराबी इंजन किलोमीटर (आबंटन के आधार पर)—

क—भाप, डीजल हाइड्रालिक और यांत्रिक इंजनों के सम्बन्ध में–

$$\text{मद } 13.02\ (\text{क}) = \frac{\text{मद } 9.01 \text{ वाले इंजन किलोमीटर}}{\text{मद } 13.01\ (\text{क})}$$

$$\text{मद } 13.02\ (\text{ख}) = \frac{\text{मद } 9.02 \text{ वाले इंजन किलोमीटर}}{\text{मद } 13.01\ (\text{ख})}$$

$$\text{मद } 13.02\ (\text{ग}) = \frac{\text{मद } 9.03 \text{ वाले इंजन किलोमीटर}}{\text{मद } 13.01\ (\text{ग})}$$

$$\text{मद } 13.02\ (\text{घ}) = \frac{\text{मद } 9.01+9.02+9.03 \text{ वाले इंजन किलोमीटर}}{\text{मद } 13.01\ (\text{घ})}$$

ख—डीजल बिजली और बिजली इंजनों के संबंध में—

$$\text{मद } 13.02\ (\text{क}) = \frac{\text{विवरण 1-ख की मद 1.01+विवरण 1-ख की मद 2.02 और 3.04 (मिली-जुली का सवारी अंश छोड़कर)—स्वक्षेत्रीय रेलवे पर अन्य रेलों के इंजनों की किलोमीटर दूरी+अन्य रेलों पर स्वक्षेत्रीय रेलवे के इंजनों की किलोमीटर दूरी (देखें "सामान्य अनुदेश" का परा 13)}}{\text{मद } 13.01\ (\text{क})}$$

$$\text{मद } 13.02\ (\text{ख}) = \frac{\text{विवरण 1-ख की मद 1.04+विवरण 1-ख की मद 2.02 और 3.04 का तथा विवरण 2 की मद 2.02 और 3.01 से 3.03 तक का मिला-जुला अंश—स्वक्षेत्रीय रेलवे पर अन्य रेलवे के इंजनों की किलोमीटर दूरी+अन्य रेलों पर स्वक्षेत्रीय रेल इंजनों की किलोमीटर दूरी (देखें "सामान्य अनुदेश" का परा 13)}}{\text{मद } 13.01\ (\text{ख})}$$

$$\text{मद } 13.02\ (\text{ग}) = \frac{\text{विवरण 2 की मद 1.01+विवरण 2 की मद 2.02 और 3.01 से 3.03 (मिली-जुली का माल अंश छोड़कर)–स्वक्षेत्रीय रेलवे पर अन्य रेलवे इंजनों की किलोमीटर दूरी+अन्य रेलों पर स्वक्षेत्रीय रेलवे इंजनों की किलोमीटर दूरी (देखें "सामान्य अनुदेश" का परा 13)}}{\text{मद } 13.01\ (\text{ग})}$$

$$\text{मद } 13.02\ (\text{घ}) = \frac{\text{मद } 13.02\ (\text{क}) \text{ से } 13.02\ (\text{ग}) \text{ तक के इंजन किलोमीटरों का जोड़}}{\text{मद } 13.01\ (\text{घ})}$$

Item 13.02.—Engine kilometers per engine failure (on allotment basis).

A—For steam, diesel hydraulic and mechanical engines.

$$\text{Item } 13.02\ (a) = \frac{\text{Engine kilometres as per item } 9.01}{\text{Item } 13.01\ (a)}$$

$$\text{Item } 13.02\ (b) = \frac{\text{Engine kilometres as per item } 9.02}{\text{Item } 13.01\ (b)}$$

$$\text{Item } 13.02\ (c) = \frac{\text{Engine kilometres as per item } 9.03}{\text{Item } 13.01\ (c)}$$

$$\text{Item } 13.02\ (d) = \frac{\text{Engine kilometres as per items } 9.01+9.02+9.03}{\text{Item } 13.01\ (d)}$$

B—For diesel electric and electric engines.

$$\text{Item } 13.02\ (a) = \frac{\text{Item 1.01 of Statement I-B+ Items 2.02 and 3.04 (excluding passenger proportion of mixed) of Statement I-B } \textit{less} \text{ kilometrage of other railway engines on home railway)+kilometrage of home railway engines on other railways vide para 13 of General Instructions}}{\text{Item } 13.01\ (a)}$$

$$\text{Item } 13.02\ (b) = \frac{\text{Item 1.04 of Statement I-B+ mixed proportion of item 2.02 and 3.04 of Statement 1–B and of items 2.02 and 3.01 to 3.03 of Statement 2 } \textit{less} \text{ kilometrage of other railway engines on home railway+kilometerage of home railway engines on other railways vide para 13 of General Instructions}}{\text{Item } 13.01\ (b)}$$

$$\text{Item } 13.02\ (c) = \frac{\text{Item 1.01 of Statement 2+item 2.02 and 3.01 to 3.03 (excluding goods proportion of mixed) of Statement 2 } \textit{less} \text{ kilometerage of other railway engines on home railway+kilometerage of home railway engines on other railways vide para 13 of General Instructions.}}{\text{Item } 13.01\ (c)}$$

$$\text{Item } 13.02\ (d) = \frac{\text{Total of engine kilometres for items } 13.02\ (a) \text{ to } 13.02\ (c)}{\text{Item } 13.01\ (d)}$$

छोटी लाइन के सम्बन्ध में अनुदेश

छोटी लाइनों के सम्बन्ध में मद 8.01, 9, 10, 11, 12 और 13.02 के संकलन-विषयक अनुदेश नीचे दिये जा रहे हैं :—

टिप्पणी .—इन मदों के परिणाम, मद 8.01 को छोड़कर, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किये जायेंगे ।

मद 8.01 = विवरण 9 भाग I की मद 5.01 से 5.06 तक का जोड़ × 100 / विवरण 4-क की मद 2 × महीने में दिनों की संख्या × 24

मद 9.01 = विवरण 9 भाग I की मद 2.01+3.02+4.01 (कुल मिली-जुली, माल और साइडिंग अंश छोड़कर) / विवरण 4-क की मद 6.01 × महीने में दिनों की संख्या

मद 9.02 = विवरण 9 भाग I की मद 2.02+(मद 3.02 और 4.01 का कुल मिली-जुली का अंश) / विवरण 4-क की मद 6.02 × महीने में दिनों की संख्या

मद 9.03 = विवरण 9 भाग I की मद 2.03+3.02+4.01 (कुल मिली-जुली, सवारी और साइडिंग अंश को छोड़कर) / विवरण 4-क की मद 6.03 × महीने में दिनों की संख्या

मद 10.01 = मद 9.01 वाले इंजन किलोमीटर / विवरण 4-क की मद 7.01 × महीने में दिनों की संख्या

मद 10.02 = मद 9.02 वाले इंजन किलोमीटर / विवरण 4-क की मद 7.02 × महीने में दिनों की संख्या

मद 10.03 = मद 9.03 वाले इंजन कलोमीटर / विवरण 4-क की मद 7.03 × महीने में दिनों की संख्या

मद 11 = विवरण 9 भाग I की मद 2.04+2.05+2.06+3.03+4.01+4.02 / विवरण 4-क की मद 6.06—वर्कशापों में कार्यरत इंजनों की संख्या, जिनकी किलोमीटर दूरी आंकड़ों में शामिल नहीं है × महीने में दिनों की संख्या

मद 12 = विवरण 9 भाग I की मद 2.04+2.05+2.06+3.03+4.01+4.02 / (विवरण 4-क की मद 2—वर्कशापों में कार्यरत इंजनों की संख्या जिनकी किलोमीटर दूरी आंकड़ों में शामिल नहीं है) × महीने में दिनों की संख्या

मद 13.02 (क) से 13.02(ग) तक अपेक्षित नहीं है ।

मद 13.02(घ) = विवरण 9 भाग I की मद 2.04+2.05+3.02+4.01 (साइडिंग इंजन किलोमीटरों को छोड़कर) / विवरण 4-क की मद 13.01 (घ)

Instructions for Narrow Gauge

Instructions for narrow gauge lines are given hereunder for compiling items 8.01, 9, 10, 11, 12 and 13.02.

Note.—The results of these items, excepting item 8.01 are to be rounded off to the nearest whole number.

Item 8.01 = Sum of items 5.01 to 5.06 of St. 9-Part I × 100 / Item 2 of St. 4-A × number of days in the month × 24

Item 9.01 = Items 2.01+3.02+4.01 (excluding total mixed goods and siding portions) of Statement 9-Part I / Item 6.01 of St. 4-A × number of days in the month

Item 9.02 = Items 2.02+(total mixed portion of items 3.02 and 4.01) of Statement 9-Part I / Item 6.02 of Statement 4-A × number of days in the month

Item 9.03 = Items 2.03+3.02+4.01 (excluding total mixed, passenger and siding portions) of St. 9-Part I / Items 6.03 of St. 4-A × number of days in the month.

Item 10.01 = Engine kilometres as for item 9.01 / Item 7.01 of St. 4-A × number of days in the month.

Item 10.02 = Engine kilometres as for item 9.02 / Item 7.02 of St. 4-A × number of days in the month.

Item 10.03 = Engine kilometres as for item 9.03 / Item 7.03 of St. 4-A × number of days in the month.

Item 11 = Items 2.04+2.05+2.06+3.03+4.01+4.02 of St. 9-Part I / Item 6.06 of St. 4-A *less* number of engines used in workshops, the kilometerage of which is not included in statistics) × number of days in the month.

Item 12 = Items 2.04+2.05+2.06+3.03+4.01+4.02 of St. 9-Part I / (Item 2 of St. 4-A *less* number of engines used in workshops, the kilometerage of which is not included in statistics) × number of days in the month.

Item 13.02 (*a*) to 13.02 (*c*): are not required.

Item 13.02 (d) = Items 2.04+2.05+3.02+4.01 (excluding siding engine kilometres) of Statement 9–Part I / Item 13.01 (*d*) of Statement 4-A